



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

24 भाद्र, 1942 (श०)

संख्या- 445 राँची, मंगलवार,

15 सितम्बर, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

7 अगस्त, 2020

संख्या-1/पी०-102/2015का०-3916-- प्रभारी प्रमण्डलीय आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री कमल जॉन लकड़ा, (झा:2006) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ प्रभारी प्रमण्डलीय आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-102/2015का०-3917-- विशेष सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री इकबाल आलम अंसारी, भा.प्र.से. (झा:2006)(अतिरिक्त प्रभार-नागरिक सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक सरायकेला-खरसावाँ जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2,1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

संख्या-1/पी०-102/2015का०-3918-- उपायुक्त, सरायकेला-खरसावाँ के पद पर पदस्थापित श्री ए० दोड़डे, भा.प्र.से. (झा:2011) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री दोड़डे अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ नागरिक सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-102/2015का०-3919-- उपायुक्त, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित श्री भुवनेश प्रताप सिंह, भा.प्र.से. (झा:2012) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री सिंह अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या-1/पी०-102/2015का०-3920-- संयुक्त सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड के पद पर पदस्थापित श्री आदित्य कुमार आनन्द, भा.प्र.से. (झा:2013)(अतिरिक्त प्रभार- निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकार, झारखण्ड तथा निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखण्ड) को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक हजारीबाग जिला का जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त नियुक्त किया जाता है एवं निदेश दिया जाता है कि वे दण्ड प्रक्रिया संहिता (एक्ट-2,1974) के अन्तर्गत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।
